न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी—श्रीमती सुनीता पचौरिया)

(निर्णय दिनांक 21/11/2024)

Registration No-RCT/409/2022
Filing No-RCT/670/2022
CNR No- MP3809000-723-2022
Filing Date-04/11/2022

(प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

(आरक्षी केन्द्र सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. के अप.क्र. 353/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.स. से उदभूत प्रकरण।)

अभियोजन		मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, थाना प्रभारी, पुलिस थाना सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा—		श्री आर.के. वर्मा ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त	अ.क्र.1	नीरज पुत्र गणपत आदिवासी, आयु 21 वर्ष, निवासी— ग्राम मेहका, थाना सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा—		श्री जी.एस. रघुवंशी, अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	18/10/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	19/10/2022
आरोप पत्र की तारीख	04/11/2022
आरोप विरचना की तारीख	13/09/2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	08/02/2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	19/11/2024
निर्णय की तारीख	21/11/2024
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	21/11/2024

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी/नोटिस की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारार्थ के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
अ.1	नीरज	22/10/2022	04/11/2022	धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो भा.दं.सं.	धारा 294 एवं 506 भाग दो भा.दं.सं. में **दोषमुक्त**, किंतु धारा 323 भा.दं.सं. में **दोषसिद्ध**	धारा 323 भा.दं.सं. में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/—रुपए जुर्माना एवं व्यतिक्रम की दशा में एक माह साधारण कारावास	**निरंक**

प्रारूप—च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

(क) अभियोजन साक्षियों की सूचीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.01	उदल सिंह	फरियादी/सूचनाकर्ता
अ.सा.02	सीतारानी	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.03	चंद्रभान	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.04	रामाधार रघुवंशी	प्रथम सूचना लेखकर्ता
अ.सा.05	योगेन्द्र सिंह राजपूत	विवेचक साक्षी
अ.सा.06	डॉ. एच.एन. माण्डरे	चिकित्सीय विशेषज्ञ साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

निरंक

(ग) न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक		

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची</u>

(क) अभियोजनः—

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.1 / अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.2 / अ.सा.1	नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी.3 / अ.सा.5	जप्ती पंचनामा
04	प्रदर्श पी.4 / अ.सा.5	सूचना पत्रक
05	प्रदर्श पी.5 / अ.सा.6	मेडीकल रिपोर्ट

(ख) प्रतिरक्षाः—

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श डी.1 / अ.सा.1	फरियादी उदल के पुलिस कथन
02	प्रदर्श डी.2 / अ.सा.2	साक्षी सीतारानी के पुलिस कथन
03	प्रदर्श डी.3 / अ.सा.3	साक्षी चंद्रभान के पुलिस कथन

(ग) न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः—

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

(घ) आवश्यक वस्तुएंः—

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक		

<u>—:: निर्णय ::—</u>

<u>।। आज दिनांक 21 / 11 / 2024 को घोषित किया गया।।</u>

01. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके पश्चात् भा.दं.सं. से संबोधित किया जायेगा) की धारा 294, 323 एवं 506 (भाग—दो) के अधीन यह

आरोप है कि उसने दिनांक 18/10/2022 को समय 18.00 बजे थाना सिलवानी अंतर्गत ग्राम महका स्थित रास्ते में फरियादी उदल सिंह आदिवासी के घर के पास लोकस्थान या लोकस्थान के समीप के स्थान पर फरियादी उदल सिंह को अश्लील शब्द उच्चारित किये, जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ, फरियादी उदल सिंह के साथ डंडे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी उदल सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई तथ्य स्वीकृत नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी उदल सिंह ने आरक्षी केन्द्र सिलवानी में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 18/10/2022 को शाम करीब 06.00 बजे सुल्तानगंज से उसके घर मेहका आ रहा था तभी रास्ते में घर के पास गांव का नीरज आदिवासी मिला और उसे बिन वजह ही मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ देने लगा, उसने गालियॉ देने से मना किया तो नीरज ने उसके हाथ में रखे डंडे से मारा, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा, वह चिल्लाया तो उसके लड़के चंद्रभान व पत्नी सीतारानी आवाज सुनकर आ गये, उन्हें आते देख नीरज भाग गया, जाते–जाते कह रहा था कि यदि रिपोर्ट किया तो जान से खत्म कर देगा।

04. फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र सिलवानी के अपराध क्रमांक 353/2022 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये एवं अभियुक्त से एक लकड़ी का डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया एवं अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना देकर सूचना पत्रक बनाया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

05. अभियुक्त ने इस निर्णय की कंडिका क्रं.1 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार करते हुए अभिवाक् किया कि वह विचारण चाहता है। अभियुक्त ने अपने धारा 313 द.प्र.स. के परीक्षण में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

06. प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिए इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है :–

क.	**विचारणीय प्रश्न**

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 18/10/2022 को समय 18.00 बजे थाना सिलवानी अंतर्गत ग्राम महका स्थित रास्ते में फरियादी उदल सिंह आदिवासी के घर के पास लोकस्थान या लोकस्थान के समीप के स्थान पर फरियादी उदल सिंह को अश्लील शब्द उच्चारित किये, जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी उदल सिंह के साथ डंडे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी उदल सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क. 01 :–

07. फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ दिया जाना बताया है। साक्षी सीतारानी (अ.सा.2) ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसे मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ दी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में भी अभियुक्त द्वारा गालियां दिये जाने का उल्लेख है, परंतु यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा दी गई गालियों से फरियादी के मन मस्तिष्क पर अश्लीलता का प्रभाव होकर उसे क्षोभ कारित हुआ है, ऐसा कोई वर्णन अभियोजन साक्षी फरियादी उदल (अ.सा.1) एवं साक्षी सीतारानी (अ.सा.2) द्वारा नहीं किया गया है।

08. भा.द.सं. की धारा 294 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायदृष्टांत ***Ranjit D. Udeshi vs State of Maharashtra, AIR 1965 SC 881*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि– "*In The Queen v. Hicklin 1868-3-Q.B.360 at 371 Cockburn C.J. laid down the test of 'obscenity' in these words : ".........the test of obscenity is this, whether the tendency of the matter charged as obscenity os to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences. "The test of 'obscenity' is the "substantial tendency to currupt by arousing lustful desires". Mr. Justice Harlan observed that*

in order to be 'obscene' the matter must "tend to sexually impure thought." चूंकि अभिलेख पर घटना के संबंध में अभियुक्त द्वारा उच्चारित शब्द तथा उसे सुनने वालों के मानसिक पटल पर प्रभाव पड़ने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। अभिलेख पर धारा 294 भा.द.सं. के अपराध को साबित करने के लिये आवश्यक विधिक अपेक्षाओं का अभाव होने से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी उदल सिंह को मॉ–बहन की गालियॅा देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न कमांक 03 :–

09. फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। साक्षी सीतारानी (अ.सा.2) ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य साक्षी चंद्रभान (अ.सा.3) ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यह उल्लेखनीय है कि धमकी इस प्रकार की होनी चाहिये अभियुक्त जो कहता है उसे करने की स्थिति में होना चाहिये तथा धमकी से फरियादी को वास्तविक भय उत्पन्न होना चाहिये। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के अवलोकन से यह दर्शित है कि घटना दिनांक को ही घटना के तुरंत पश्चात् फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी है, तब ऐसी स्थिति में यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी धमकी से फरियादी को वास्तविक भय उत्पन्न हुआ हो। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी उदल सिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 :–

10. उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) ने साक्ष्य में वर्णन किया है कि वह अभियुक्त नीरज को जानता है। वह स्वास्थ्य विभाग में सुपर वाईजर होकर घटना दिनांक 18/10/2022 की शाम 6 बजे सुल्तानगंज की है। जब वह अपने घर ग्राम मेहका आ रहा था तो रास्ते में घर के पास गांव का अभियुक्त नीरज आदिवासी उसे मिला और उसने उसे लट्ठ से मारा, जो उसके सिर एवं कमर में लगा। जब वह चिल्लाया तो उसका लड़का और उसकी पत्नी सीताबाई एवं उसके पुत्र चंद्रभान ने उसे बचाया। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट

थाना सिलवानी में लिखायी गई, जो प्रदर्श पी.1 है, जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका उसकी निशादेही पर बनाया था जो प्रदर्श पी.2 है, जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया। उसे घ टना में आयी चोटों का इलाज सिलवानी अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान भी लिये थे।

11. साक्षी उदल सिंह (अ.सा.1) ने अपने कथन में घटना दिनांक 18/10/2022 की 6 बजे की उसके घर के पास ग्राम मेहका की होना बतायी है। प्रकरण में संलग्न नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 के अनुसार घटनास्थल ग्राम मेहका गांव का रास्ता होकर आरोपी के घर के पास का है। अतः घटना के दिनांक, समय व स्थान के संबंध में फरियादी उदल सिंह के कथन अभियोजन मामले के अनुरूप है।

12. फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) ने साक्ष्य में घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 थाना सिलवानी में लेख कराना बताया है। उक्त संबंध में प्रथम सूचना लेखकर्ता साक्षी रामाधार रघुवंशी (अ.सा.4) ने दिनांक 19/10/2022 को थाना सिलवानी में प्रधान आरक्षक के पद पर रहने के दौरान फरियादी उदल सिंह आदिवासी के बताये अनुसार अभियुक्त नीरज के विरूद्ध गाली गलौच कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाने के अपराध क्रमांक 353/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.दं.सं. के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 लेखबद्ध कर उसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान वर्णन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लेखबद्ध कराये जाने से अभियोजन मामला संदेहास्पद हो जाता है। उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का अवलोकन किये जाने से घटना दिनांक 18/10/2022 की शाम 6 बजे की होकर थाने पर रिपोर्ट दिनांक 19/10/2022 को समय 1.25 बजे लेख करायी जाना दर्शित है, तब ऐसी स्थित में घटना के पश्चात् रिपोर्ट लिखाये जाने की अवधि का जो अंतराल है, वह इतना विलंब से होना दर्शित नहीं है, जो संपूर्ण घटना को संदेहास्पद बना दे। तब ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

14. साक्षी सीताबाई (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) के कथन के अनुरूप कथन करते हुए वर्णित किया है कि अभियुक्त नीरज एवं उसके पति फरियादी उदल की आवाज सुनकर वह दौड़कर अपने पति के पास पहुंची तो देखा कि अभियुक्त नीरज उसके पति को लोहे की छड़ से मार रहा था, जब उसने उसे रोका तो अभियुक्त उससे बोला कि तुम मत बोलो तब वे

दौड़कर घर आयी और अपने बेटे चंदू को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। वह और उसका पुत्र उदल को उठाकर खेत पर ले गये थे और उसके बाद सिलवानी अस्पताल में इलाज के लिए ले गये थे। उसके पति उदल को घटना में आयी चोटों से सिर में 5–6 टांके आये थे।

15. साक्षी सीताबाई (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त नीरज के द्वारा उसके पति फरियादी उदल को लोहे की छड़ से मारने से सिर में लगी चोटों में टांके आना बताया है, जबकि अभियोजन मामला इस प्रकार का नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन मामले से भिन्न कथन किये जाने से उक्त साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं रह जाती है।

16. जहांतक साक्षी चंद्रभान (अ.सा.3) की साक्ष्य है, जिसने अपनी साक्ष्य में बताया कि जब वह घर पर बैठा था, तब उसकी मम्मी सीताबाई ने आवाज देकर उसे बुलाया तो वह घटनास्थल पर पहुंचा तो अभियुक्त नीरज हाथ में लट्ठ लिये था और उसके पिता उदल के सिर से खून निकल रहा था। अभियुक्त नीरज उन्हें देखकर भाग गया, तब उसने पुलिस को फोन लगाया था तो पुलिस घटनास्थल पर आ गयी थी, जो कि उसके पिता उदल को अस्पताल सिलवानी लेकर आयी थी। उसके पिता का इलाज सिलवानी अस्पताल में हुआ था।

17. साक्षी चंद्रभान (अ.सा.3) ने आगे वर्णन किया है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि अभियुक्त नीरज ने उसके सिर में लट्ठ मारा है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने वर्णित किया कि उसने अपने कथन प्रदर्श डी.3 में बता दिया था कि वह घर पर बैठा हुआ था, तभी उसकी मॉ सीताबाई चिल्लायी तब वह घर के बाहर आया था। उसने अपने कथन में यह भी बता दिया था कि उसके पिता ने उसे बताया था कि नीरज ने उसे लट्ठ से मारा है, यदि उक्त बात उसके कथन प्रदर्श डी.3 में लेख न हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उक्त साक्षी के पूर्व कथन प्रदर्श डी.3 के अवलोकन पर ऐसा लेख नहीं है कि अभियुक्त नीरज ने उसके पिता को लट्ठ से मारा था। प्रदर्श डी.3 में अभियुक्त नीरज द्वारा उसके पिता को लकडी से मारपीट करना लेख है। ऐसा भी लेख नहीं है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि अभियुक्त नीरज ने उसे लट्ठ मारा है।

18. वही साक्षी योगेन्द्र सिंह राजपूत (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि प्रदर्श डी.3 के कथन में साक्षी चंद्रभान ने उसे यह बताया था कि वह अपने घर पर बैठा था तभी उसकी मॉ सीतारानी चिल्लाकर आयी तब वह बाहर आया था। यह भी अस्वीकार किया है कि उक्त साक्षी चंद्रभान ने कथन प्रदर्श

डी.3 में बताया था कि अभियुक्त लट्ठ लिये था, उसके पिता ने उसे बताया था कि नीरज ने लट्ठ मारा था। इस प्रकार साक्षी चंद्रभान (अ.सा.3) के कथन उसके पूर्व कथन से भिन्न होकर उक्त साक्षी का यह कहना कि उसने पुलिस को फोन लगाया था, तब पुलिस आ गयी थी, जबकि फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी चंद्रभान (अ.सा.3) के कथन में लोप एवं विसंगतिपूर्ण होने से उसके कथन से अभियोजन मामले को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19. साक्षी योगेन्द्र सिंह राजपूत (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में वर्णन किया कि दिनांक 20/10/2022 को थाना सिलवानी में प्रधान आरक्षक के पद पर रहने के दौरान उसके द्वारा अपराध क्रमांक 353/2022 धारा 294, 323, 506 भा.दं.सं. के अपराध की विवेचना के अनुक्रम में घटनास्थल पर पहुंचकर फरियादी उदल सिंह की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.2 बनाकर उसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताया। उसके द्वारा फरियादी उदल सिंह, साक्षी सीतारानी एवं चंद्रभान के बताये अनुसार उनके कथन लेखबद्ध किये गये थे।

20. साक्षी योगेन्द्र सिंह राजपूत (अ.सा.5) आगे वर्णन करता है कि अभियुक्त नीरज द्वारा एक लकड़ी का डंडा प्रस्तुत करने पर पंचान साक्षीगण गनपत एवं उदल सिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया। विवेचना के उपरांत अभियुक्त को प्रदर्श पी.4 का सूचना पत्र जारी किया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.3 में जप्तशुदा डंडा जैसा डंडा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

21. साक्षी सीतारानी (अ.सा.2) एवं साक्षी चंद्रभान (अ.सा.3) के कथन त्यक्त कर दिये जाने पर अभिलेख पर कथित मारपीट की घटना के संबंध में मात्र फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) के कथन शेष रह जाते हैं। यद्यपि फरियादी के कथन के आधार पर ही दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि फरियादी के कथन अभियोजन मामले के अनुरूप होकर किसी भी महत्वपूर्ण विरोधाभाष या विसंगितयों से मुक्त हो।

22. उक्त संबंध में फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त नीरज आदिवासी द्वारा उसे लट्ठ से मारने से उसे सिर में चोट आना बताया है, जिसका समर्थन डॉ. एच.एन. माण्डरे (अ.सा.6) के कथन से होकर डॉ. एच.एन. माण्डरे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 19/10/2022 को सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र सिलवानी में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहने के दौरान आहत उदल के परीक्षण के दौरान उसके माथे पर दाहिनी तरफ फटा हुआ घाव पाया जाना बताया। अभिमत में उक्त साक्षी ने आहत को आयी चोटें सख्त एवं बौथरी वस्तु से उसके परीक्षण से 6 घंटे अवधि मध्य की होकर साधारण प्रकृति की होना बतायी है। उसके द्वारा आहत के संबंध में तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.5 है, जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना वर्णित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में अभियुक्त द्वारा फरियादी उदल के सिर में मारने से चोट पहुंचाने का उल्लेख है।

23. इस प्रकार फरियादी उदल सिंह को आयी चोट का समर्थन डॉ. एच.एन. माण्डरे (अ.सा.6) के कथन से होकर उसकी पुष्टि मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 से होती है। अतः यह प्रकट होता है कि चोट कारित होने के स्थान एवं अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में फरियादी उदल के कथन अभियोजन मामले के अनुरूप हैं।

24. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में वर्णन किया है कि फरियादी उदल सिंह ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उसे लट्ठ से मारना एवं अभियोजन मामले में डंडे से मारना लेख होने से साक्षी के कथन विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। उक्त संबंध में फरियादी उदल सिंह (अ.सा.1) की साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उसे लट्ठ से मारना बताया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में डंडे से मारना लेख है, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि लट्ठ एवं डंडा दो भिन्न शब्द अभियोजन मामले में वर्णित होने से फरियादी की साक्ष्य संदेह की परिधि में नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि फरियादी द्वारा किये गये कथन कि उसे अभियुक्त द्वारा लट्ठ से मारा गया था, का बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी कोई खण्डन नहीं किया जा सका है।

25. अतः यहां यह प्रकट होता है कि फरियादी के कथन अभियोजन मामले के अनुरूप होकर प्रतिपरीक्षण में किसी भी महत्वपूर्ण विरोधाभाष या विसंगति से मुक्त हैं। अतः फरियादी उदल (अ.सा.1) के कथन विश्वसनीय होना प्रकट होता है। तब ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि फरियादी उदल सिंह को अभियुक्त द्वारा डंडे से मारकर उसे उपहति कारित की गई थी।

26. अभियुक्त का ऐसा कोई बचाव नहीं है कि फरियादी ने घटना के समय किसी प्रकार का प्रकोपन दिया था। अभियुक्त का ऐसा भी बचाव नहीं है कि घटना के समय उसे प्रतिरक्षा का आधार उत्पन्न हुआ था। अभियुक्त के

विरूद्ध यह प्रमाणित हो चुका है कि घटना के समय उसने फरियादी उदल सिंह के साथ डंडे से मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार अभियुक्त ने फरियादी को मारा था, यह यही दर्शित करता है कि वह अपने द्वारा किये जा रहे कृत्य के संभावित परिणाम ''आहत को शारीरिक पीड़ा कारित होना'', निश्चित रूप से जानता था अथवा ऐसा किया जाना संभावित समझता था। उक्त कृत्य भा.द.स. की धारा 39 व 321 के प्रावधानानुसार स्वेच्छिक ही माना जायेगा।

–::: अंतिम आदेश :::–

27. प्रकरण की परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपरोक्त साक्ष्य तथा विचारणीय बिंदुओं पर प्राप्त निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18/10/2022 को समय 18.00 बजे थाना सिलवानी अंतर्गत ग्राम महका स्थित रास्ते में फरियादी उदल सिंह आदिवासी के घर के पास लोकस्थान या लोकस्थान के समीप के स्थान पर फरियादी उदल सिंह को अश्लील शब्द उच्चारित किये, जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ एवं फरियादी उदल सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया।

28. परिणामस्वरूप **अभियुक्त नीरज पुत्र गणपत आदिवासी** को धारा **294 एवं 506 भाग–2** भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

29. परंतु इसके अतिरिक्त अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः **सफल** रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18/10/2022 को समय 18.00 बजे थाना सिलवानी अंतर्गत ग्राम महका स्थित रास्ते में फरियादी उदल सिंह आदिवासी के घर के पास फरियादी उदल सिंह के साथ डंडे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

30. परिणामस्वरूप अभियुक्त **नीरज पुत्र गणपत आदिवासी** को **भा.दं. सं. की धारा 323** के अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

31. अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिये, इसके विपरीत लोक अभियोजक द्वारा कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के हकदार नहीं हैं।

32. धारा 446 द.प्र.स. के तहत अभियुक्त के प्रतिभूति एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते है एवं अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाता है।

(दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के लिये निर्णय लेखन थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया)

(श्रीमती सुनीता पचौरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र.

—// दंडादेश //—

पुनश्चः

33. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्त अपने परिवार के कर्ता–धर्ता होकर कृषि एवं मजदूरी कार्य करके अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं, इसलिये उसे न्यूनतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है। राज्य पक्ष की ओर से एडीपीओ द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया।

34. उभयपक्ष के निवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होकर सकारात्मक सहयोग किया गया है, परंतु अभियुक्त को शिक्षाप्रद दण्ड से दंडित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार **दण्डित** किया जाता है–

क	अभियुक्त का नाम	धारा	दण्डादेश		अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास
			कारावास	अर्थदण्ड	
1.	नीरज आदिवासी	323 भा.दं.सं.	न्यायालय उठने तक का कारावास	1,000/– (एक हजार रूपये)	एक माह का साधारण कारावास

35. अभियुक्त द्वारा पूर्व में भोगी गयी निरोध की अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जाये।

36. प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी का डंडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

37. निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त को प्रदाय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(श्रीमती सुनीता पचौरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र.

(श्रीमती सुनीता पचौरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र.

मेरे द्वारा टंकित किया गया।
योगेश सोनी स्टेनोग्राफर